

>

Title: Introduction of the Right to Information (Amendment) Bill, 2019 (Amendment of section 19).

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**HON. CHAIRPERSON:** The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Right to Information Act, 2005.”

*The motion was adopted.*

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

16 02 hrs